



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9333

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 39635 वर्ष 2025

तसब्बुर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : फरीद अहमद

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री फरीद अहमद और राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए श्री एस.के. राय, विद्वान एजीए-प्रथम को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका, आरोपी-आवेदक, तसब्बुर की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 393/2025, धारा 109 (1), 318 (4), बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27, पुलिस स्टेशन- बहजोई, जिला-संभल के तहत जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 03.10.2025 से जेल में बंद है। दिनांक 03.10.2025 को इस आरोप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है कि घटना की तारीख को पुलिस पार्टी वाहनों की जांच में लगी हुई थी, पुलिस पार्टी ने आवेदक को रोकने की कोशिश की है, आवेदक ने पुलिस पक्ष पर गोलियां चलाई, जिसमें हरीश नाम के एक पुलिसकर्मी को गोली लगी थी, और पुलिस की गोलीबारी में आवेदक को भी गोली लगी थी और एक 315 बोर देशी पिस्तौल बरामद हुई थी साथ ही आवेदक की ओर से दो जिंदा कारतूस दिखाए गए हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक को उसके घर से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान प्रकरण में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक से दिखाई गई वसूली एक है। उपरोक्त बरामदगी का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। तीन प्रकरण के आपराधिक इतिहास को ठीक से समझाया गया है और जमानत पर रिहाई के प्रकरण में उसके न्याय के रास्ते से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमानत की मांग की गई है।

विद्वान एजीए ने यह प्रस्तुत करके जोरदार विरोध किया है कि एक पुलिस कर्मी को बंदूक की गोली लगी है और आवेदक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वह उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।

उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के प्रकरण में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, लेकिन प्रकरण की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए एक प्रकरण बनाया जाता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **तसब्बुर**, जो उपर्युक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट नहीं दी जाती है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।